माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer

विवरणिका

(SYLLABUS)

वरिष्ठोपाध्याय-परीक्षायाः परीक्षा-2026

कृते

आवश्यक-निर्देशाः

परीक्षा 2026

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 के लिए मान्य है)

RSER

वरिष्ठोपाध्याय-परीक्षायाः परीक्षा-2026

कृते

आवश्यक-निर्देशाः

परीक्षा 2026

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा-2026 के लिए आवश्यक निर्देश

1. परीक्षा वर्ष 2026 की माध्यमिक,उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तकों में मुद्रित पाठ्यक्रम तथा बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किये गये पाठ्यक्रम/अंक विभाजन में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड अद्यतित (UPDATED) पाठ्यक्रम में दिया गया अंक विभाजन ही मान्य होगा।

2. विवरणिका के इस भाग में वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2 का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें, जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हैं, दी गई हैं।

3. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए निर्धारित अवधि एक वर्ष है।

4. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए परीक्षा योजना आदि सम्बन्धित विनियमों में दिए गए अनुसार होगी।

5. विषयों के शिक्षण हेतु निर्धारित साप्ताहिक कालांश :

BSEB

क्रमसं.	विषय	कालांश

अनिवार्य

1.	हिन्दी	6
2.	अंग्रेजी	6
3.	आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2	3

4. समाज सेवा योजना (नियमित विद्यार्थियों के लिए) उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्णोपरान्त ग्रीष्मावकाश में।

ऐच्छिक विषय 33

प्रथम-11, द्वितीय-11, तृतीय-11

(प्रयोगात्मक कार्य वाले विषयों में 7 कालांश, सैद्धान्तिक एवं 4 कालांश प्रायोगिक के)

5. मुख्य ऐच्छिक विषय :-

(i) संस्कृत वाङ्मय (अनिवार्य)	11
(ii) वेद, दर्शन एवं शास्त्र वर्ग में प्रस्तावित विषयों में से एक विषय	11

6. **ऐच्छिक विषय** - आधुनिक विषयों में से एक 11

7. नैतिक शिक्षा : प्रार्थना सना, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।

8. **पुस्तकालय** - पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान 0 कालांश / मध्य अन्तराल में।

9. शारीरिक शिक्षा - शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियां विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित।

BSER

टिप्पणी :- उच्च माध्यमिक परीक्षा / वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा (कक्षा 12) में अध्यनरत विद्यार्थियों जिन्होने कक्षा-11 नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ग्रीष्मावकाश में समाज सेवा योजना शिविर में भाग लिया है. उन विद्यार्थियों की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा-12 की अंकतालिका / प्रमाणपत्र में किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) से जुड़े विद्यार्थी समाज सेवा योजना शिविर से मुक्त रहेंगे तमा इन विद्यार्थियों की अंकतालिका / प्रमाणपत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) में भाग लिया, का अंकन किया जायेगा।

संस्कृत परीक्षाएं बोर्ड विनियम अध्याय-20 (क)

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, संस्कृत की निम्नलिखित परीक्षायें आयोजित करेगा-

   (क) प्रवेशिका (ख) वरिष्ठ उपाध्याय

2. स्वयंपाठी अभ्यर्थी के अतिरिक्त परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उस परीक्षा में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि तक उस समय स्तर तक के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेना होगा और उस संस्था में उसे नियमित रूप से सवाल तक अध्ययन करना होगा।

3. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा-

वर्ग – (1) अनिवार्य विषय (विषय कोड सहित)

1. हिन्दी (01), 2. अंग्रेजी (02),

3. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 (79),

BSER

4. समाज सेवा योजना (78), (नियमित विद्यार्थियों के लिए)

वर्ग (2) अनिवार्य वैकल्पिक विषय -

1. संस्कृतवाङ्मय (94)

वैकल्पिक विषय निम्नलिखित वर्ग (अ, ब, स) में से कोई एक विषय

(अ) वेद वर्ग -

1. ऋग्वेद (44) 2. शुक्ल यजुर्वेद (45) 3. कृष्ण यजुर्वेद (46)

4. सामवेद (47) 5. अथर्ववेद (48)

(ब) दर्शन वर्ग -

6. न्याय दर्शन (49) 7. वेदान्तदर्शन (50) 8. मीमांसा दर्शन (51)

9. जैन दर्शन (52) 10. निम्बार्क दर्शन (53) 11. वल्लभ दर्शन (54)

12. रामानन्ददर्शन (57) 13. सामान्य दर्शन (55)

(स) शास्त्र वर्ग -

14. व्याकरण शास्त्र (86) 15 साहित्य शास्त्र (87)

16. पुराणेतिहास (88) 17. धर्मशास्त्र (89).

18. ज्योतिष शास्त्र (90) 19. सामुदिक शास्त्र (91).

20. वास्तुविज्ञान (92) 21. पौरोहित्य शास्त्र (93)

वर्ग - 3 वैकल्पिक विषय – (निम्नलिखित में से कोई एक)

इन विषयों का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, अंक योजना एवं विषय कोड उच्च माध्यमिक परीक्षा के समान होगे।

BSER

1. हिन्दी साहित्य (21)

2. अंग्रेजी साहित्य (20)

3. इतिहास (13)

4. राजनीति विज्ञान (11)

5. अर्थशास्त्र (10)

6. समाज शास्त्र (29)

7. गृह विज्ञान (18)

8. चित्रकला (17)

9. भूगोल (14)

10. कम्पूटरविज्ञान (03), इन्फोमेटिक्स प्रेक्टिसेज (04)

11. मनोविज्ञान (19)

12. शारीरिक शिक्षा (60)

13. लोक प्रशासन (06)

14. पर्यावरण विज्ञान (61)

15. त्तामान्य विज्ञान (56)

16. गणित (15)

17. हिन्दी शीघ्र लिपि एवं टंकण लिपि(32, 34)

18. अंग्रेजी शीघ्र लिपि एवं टंकण लिपि(33, 35)

19. टंकण लिपि हिन्दी(34) एवं अंग्रेजी (35)

BSER

व्यावसायिकशिक्षा कोई एक

(i) ऑटोमोटिव (101)

(ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102)

(iii) हेल्थकेयर (103)

(iv) इन्फोरमेशनटेकनोलोजी (IT)/इन्फोरमेशन टेकनोलोजी इनेबल्ड सर्विसिज (ITes) (104)

(v) रिटेल (105)

(vi) (अप) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिजम/ ट्यूरिजम एण्ड हॉस्पिअैलिटी (106)

(vii) एपैरलमेड-अप्स एण्ड होमफर्निशिंग (108)

(viii) इलेक्ट्रोनिक्स (109)

(ix) एग्रीकलचर (110)

(x) पलम्बर (111)

(xi) टेलीकॉम (112)

(xii) बैंकिगफाईनेन्शियलसर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113)

(xiii) कंस्ट्रशन (114)

(xiv) फूड प्रोसेसिंग (115)

उपर्युक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या. शि/BSER/2024-25 दिनांक 24. 07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेडस/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होगें। उ.मा. परीक्षा के परीक्षार्थियों के समान व्यावसायिक शिक्षा के एक विषय का चयन कर सकता है।

है।

BSER

4 . वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में निम्न निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेश के योग्य होंगे, यदि नीचे लिखे प्रावधानों में अंकित परीक्षायें उत्तीर्ण किये हुए हैं जिन्हें एक वर्ष व्यतीत हो चुका हो अर्थात् परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के आगामी वर्ष के पश्चात् ही यह परीक्षा में बैठ सकेंगे।

क. राजस्थान शिक्षा विभाग / माध्यनिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की प्रवेशिका परीक्षा अंग्रेजी सहित उत्तीर्ण अथया बोर्ड उसके समकक्ष मान्य परीक्षा (अंग्रेजी विषय एवं प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत सहित उत्तीर्ण)

ख. वैकल्पिक संस्कृत विषय लेकर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा अथवा उच्च परीक्षा अथवा उसके समकक्ष बोर्ड द्वारा मान्य परीक्षा। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रवेश के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्य होगा।

ग. वरिष्ठ उपाध्याय या उसके समकक्ष संस्कृत परीक्षोत्तीर्ण अभ्यर्थी बाद के किसी वर्ष में स्वयंपाठी / नियमित अभ्यर्थी के रूप में वर्ग-2 अथवा वर्ग 3 के विषय / विषयों में वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा दे सकता है. जिसमे /जिनमें यह पहले उत्तीर्ण नहीं हुआ है। परन्तु यदि किसी विषय/विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है तो स्वयंपाठी छात्र को संबंधित स्कूल के प्रधान का यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने यरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए निर्धारित प्रायोगिक कार्य को उस संस्था में पूरा कर लिया है।

घ. जो इस बोर्ड की वरिष्ठ उपाध्याय में अथया विधि सम्मत विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तर मध्यमा अथवा प्रथम वर्ष शास्त्री परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हो, परन्तु ऐसे छात्रों के लिए प्रदेशिका स्तर की मान्य परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

ङ. वरिष्ठ उपाध्याय के वर्ग-2 मुख्य अनिवार्य वैकल्पिक विषय के एवं अन्य ऐच्छिक अन्तर्गत सभी विषयों का उत्तर का माध्यम संस्कृत रहेगा। वर्ग-3 केअन्तर्गत अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर सभी वैकल्पिक विषयों के उत्तर का माध्यम हिन्दी रहेगा किन्तु अंग्रेजी साहित्य के उत्तर का माध्यम अंग्रेजी होगा।

BSER

च. वरिष्ठ उपाध्याय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग-II को अतिरिक्त विषय के रूप में लिया जा सकेगा। इस विषय के पाठ्यक्रम एवं नियमों का अवलोकन उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इसी विवरणिका में करें।

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2026 के लिए विषयवार अङ्क योजना/ परीक्षा योजना

श्रीमान् निदेशक माध्यमिकशिक्षा राजस्थानबीकानेर के पत्र क्रमांकशिविरा-माध्य/मा-स / पर्यावरण (36)/वो-2/2025 दिनांक 20.08.2025 के अनुसार सत्रांकोमें वृक्षारोपण के अंकभार निर्धारण-

(36)/वो–2/2025 दिनांक 20.08.2025 के अनुसार सत्रांको में वृक्षारोपण के अंकभार निर्धारण–

विषय (कोड संख्या)	प्रश्नपत्र	समय (घंटे)			सत्रांकविवरण						पूर्णांक	न्यूतम उर्त्तीणप्रतिशत
			प्रश्न	स्थानीय	प्रोजेक्ट	वृक्षारोपण	उपस्थिति	सद्व्यवहार	वृक्षारोपण	कुल		
वर्ग 1 अनिवार्यविषय												
1. हिन्दी (01)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	4	1	3	1	1	20	100	33
2. अंग्रेजी (02)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	4	1	3	1	1	20	100	33
3. आजादी के बाद का स्वर्णिम भाग–2	सैद्धान्तिक	3:15	80		20					20	100	33
4. समाजसेवा योजना (78)	सैद्धान्तिक	3:15		विवरणिका में दिये निर्देशानुसार								
वर्ग 2 अनिवार्यवैकल्पिक												
1. संस्कृत वाङ्मय (94)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5		3	1	1	20	100	33
(अ) वेदवर्ग(ऐच्छिक)	निम्नलिखितवर्ग (अ, ब, स) में से कोई एक विषय –											
1. ऋग्वेद (44)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3		3	0	1	14	70	33
	प्रायोगिक	–	–	–	–		–	–		–	30	33
2. यजुर्वेद (45)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3		3	0	1	14	70	33
	प्रायोगिक	–	–	–	–		–	–		–	30	10
3. कृष्णयजुर्वेद (46)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3		3	0	1	14	70	33
	प्रायोगिक	–	–	–	–		–	–		–	30	10
4. सामवेदः (47)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3		3	0	1	14	70	33
	प्रायोगिक	–	–	–	–		–	–		–	30	10
5. अर्थवेदः (48)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3		3	0	1	14	70	33
	प्रायोगिक	–	–	–	–		–	–		–	30	10
(ब) दर्शनवर्ग(ऐच्छिक)												
6. न्यायदर्शनम् (49)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5		3	1	1	20	100	33
7. वेदान्तदर्शनम् (50)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5		3	1	1	20	100	33
8. मीमांसादर्शनम् (51)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5		3	1	1	20	100	33
9. जैनदर्शनम् (52)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5		3	1	1	20	100	33

BSER

10. निम्बार्कदर्शनम् (53)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
11. वल्लभदर्शनम् (54)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
12. सामान्यदर्शनम् (55)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
13. रामानन्ददर्शनम् (57)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
(स) शास्त्रवर्ग(ऐच्छिक)											
14. व्याकरणशास्त्रम् (86)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
15. साहित्यशास्त्रम् (87)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
16. पुराणेतिहासः (88)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
17. धर्मशास्त्रम् (89)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
18. ज्योतिषशास्त्रम् (90)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	33
	प्रायोगिक	—	—	—	—	—	—		—	30	10
19. सामुद्रिकशास्त्रम् (91)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	33
	प्रायोगिक	—	—	—	—	—	—		—	30	10
20. वास्तुशास्त्रम् (92)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	33
	प्रायोगिक									30	10
21. पौरोहित्यशास्त्रम्	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	33
	प्रायोगिक									30	10
वर्ग 3 वैकल्पिकविषय											
1. अर्थशास्त्र (10)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
2. राजनीतिविज्ञान (11)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
3. इतिहास (13)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
4. भूगोल (14)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
5. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
6. अंग्रेजीसाहित्य (20)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
7. हिन्दीसाहित्य (21)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
8. चित्रकला (17)	सैद्धान्तिक	3:15	24	3	—	1.5	1½	1	6	30	10
	प्रायोगिक									70	23
9. गृहविज्ञान (18)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक									30	10
10. समाजशास्त्र (29)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
11. मनोवज्ञान (19)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
12. शारीरिकशिक्षा (60)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
13. लोकप्रशासन (06)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
14. कम्पयूटरविज्ञान (06)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
15. पर्यावरणविज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
16. अंग्रेजी शीध्रलिपिक व अंग्रेजीटंकण लिपि (33 व 35)	सैद्धान्तिक	1:00	40	5	2.5	1.5	0	1	10	50	17
17. हिन्दी शीध्रलिपिक व हिन्दी (32 व 34)	सैद्धान्तिक	1:00	40	5	2.5	1.5	0	1	10	50	17
18. टंकण लिपि हिन्दी व अंग्रेजी (34 व 35)	सैद्धान्तिक	1:00	40	5	2.5	1.5	0	1	10	50	17

BSER

19. सामान्य विज्ञान (56)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10

टिप्पणीः–

1. सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक विद्यालयों द्वारा बोर्ड को विषयवार प्रेषित किये जायेंगे।
2. सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होगें अर्थात पूर्णांक 100 में से 20 अंक सत्रांक के होंगे, जिसका विभाजन इस प्रकार होगा– नियमित विद्यार्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के लिए 10% अंक, प्रोजेक्ट कार्य के हिन्दी अनिवार्य एवं अंग्रेजी अनिवार्य के लिए 4–4 अंक रहेगें तथा शेष विषयों के पूर्ववत 5 अंक होगे, उपस्थिति, सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण के अंक उपर्युक्त तालिकानुसार होंगें।
   (i) उपस्थिति के अंक निम्नानुसार दिये जा सकेंगेः–
   75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक (कुछ विषयों में तालिकानुसार ½)
   81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक (कुछ विषयों में तालिकानुसार 1)
   86%से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक (कुछ विषयों में तालिकानुसार 1½)
   (ii) सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण के अंक उपर्युक्त तालिकानुसार होंगें।
3. (i) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।
   (ii) सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांको के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।
4. संगीत एवं चित्रकला के अतिरिक्त ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक 20% होंगे जिसके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के 10% अंक होंगे। सैद्धान्तिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
   (i) 3 अंक विघार्थियों की उपस्थिति पर निम्नानुसार दिये जा सकेंगे :–
   75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक
   81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक
   86%से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक
   (ii) 3 अंक प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित होंगे।
   (iii) सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण के अंक उपर्युक्त तालिकानुसार होंगें।
   (iv) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।
5. संगीत और चित्रकला विषयों में सत्रांक विभाजन निम्नानुसार होगा–
   लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे जिसके अन्तर्गत नियमित अभयर्थियों के लिए विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के 10% अंक होंगे। शेष अंक उपस्थिति एवं व्यवहार में निम्नानुसार देय होंगे–
   विघार्थियों की उपस्थिति पर निम्नानुसार अंक दिये जा सकेंगे
   75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 0.5 अंक
   81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 1.0 अंक
   86%से 100% तक उपस्थिति होने पर 1.5 अंक
   0.5 सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण का 1 अंक देय होंगें।
   उक्त दोनों विषयों में क्रियात्मक कार्य पर्याप्त मात्रा में होने के कारण प्रोजेक्ट के अंक निर्धारण नहीं किया गया है।
6. सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांको के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।
7. क्रम.स. 17,18 एवं 19 पर उल्लेखित विषयों के पत्र में दो खण्ड होंगे, जिसमें शीध्रलिपि के सन्दर्भ में खण्ड अ संकेतलिपि से तथा खण्ड ब संकेतलिपि के अनुवाद को टंकण यंत्र अथवा कम्प्यूटर पर टाइप किये जाने सम्बन्धित होगा। टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी के संन्दर्भ में खण्ड अ हिन्दी और खण्ड ब अंग्रेजी टंकण से सम्बन्धित होगा। विद्यार्थी को खण्ड अ और खण्ड ब दोनों में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
8. अतिरिक्त वैकल्पिक विषय–

BSER

(i) वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थी तीन वैकल्पिक विषयों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग–II अतिरिक्त विषय के रूप में चुन सकेंगे।

(ii) अतिरिक्त विषय के लिए नियमानुसार परीक्षा शुल्क प्रति विषय अतिरिक्त देय होगा।

9. श्रेणी –1 (Cat-I) में प्रविष्ट होने वाले नियमित परीक्षार्थियों के लिए समाजोपयोगी योजनाऐं विषय की परीक्षा से मुक्त रहेगे।

10. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–2 विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जायेगी और प्राप्तांकों को बोर्ड कार्यालय में भिजवाया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत निर्धारित है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में 33 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किये हो तो उन्हें विद्यालय स्तर पर पुनः अवसर देय होगा।

BSER